



राजस्थान-राजपत्र	RAJBIL/2000/1717 J.P.C./3588/02/2003-05
विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
फाल्गुन 23, सोमवार, शका 1926-मार्च 14, 2005 Phalguna 23, Monday, Saka 1926-March 14, 2005	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम ।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 14, 2005

संख्या प.2(9)विधि/2/2005:-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 13 मार्च, 2005 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005  
(2005 का अधिनियम संख्यांक 4)

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 13 मार्च, 2005 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में क्रीड़ा संगमों के रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन का उपबंध करने और क्रीड़ा संगमों के क्रियाकलापों और कार्यकलापों को सुकर बनाने और विनियमित करने और राजस्थान राज्य का और राज्य के विभिन्न राजस्व जिलों का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार को मान्यता प्रदान करने और विनियमन करने का भी उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

## अध्याय 1

## प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और प्रसार— (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज में है।

(3) यह 18 अगस्त, 2004 को और से प्रवृत्त हुआ संमझा जायेगा।

2. परिभाषाएं— इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "तदर्थ कार्यकारी समिति" से ऐसा कार्यकारी निकाय अभिप्रेत है जिसे रजिस्ट्रार द्वारा किसी भी क्रीड़ा संगम के कार्यकलापों का प्रबंध इस अधिनियम की धारा 24 और 26 के अधीन अस्थायी रूप से न्यस्त किया गया हो ;

(ख) "संबद्धता" से इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयोजन के लिए संबंध स्थापित करना अभिप्रेत है ;

(ग) "संग्रारण वार्षिक बैठक" से किसी भी क्रीड़ा संगम के साधारण निकाय की वार्षिक बैठक अभिप्रेत है ;

(घ) "संबद्धता प्रमाणपत्र" से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संबद्धता मंजूर करते समय राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्, किसी राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम या किसी जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम द्वारा जारी किया गया दस्तावेज अभिप्रेत है और इसमें राजस्थान ओलम्पिक संगम द्वारा जारी किया गया संबद्धता-पत्र सम्मिलित होगा ;

(ङ) "जिला" से राजस्थान राज्य का कोई राजस्व जिला अभिप्रेत है ;

(च) "जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम" से ऐसी क्रीड़ा इकाई अभिप्रेत है जो किसी विशिष्ट खेल या क्रीड़ा में किसी राजस्व जिले का प्रतिनिधित्व करती है और संबंधित जिला क्रीड़ा परिषद्, राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम और जिला ओलम्पिक संगम से सम्यक् रूप से संबद्ध है और जिसके संबद्धक राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम ने रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन कर दिया हो;

(छ) "जिला क्रीड़ा परिषद्" से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के नियंत्रण के अधीन किसी राजस्व जिले में क्रियाशील कोई परिषद् अभिप्रेत है;

(ज) "निर्वाचन" से किसी क्रीड़ा संगम के कार्यकारी निकाय का निर्वाचन अभिप्रेत है ;

(झ) "कार्यकारी निकाय" से सम्यक् रूप से निर्वाचित व्यक्तियों का ऐसा समूह अभिप्रेत है जो किसी भी क्रीड़ा संगम के कार्यकलापों का प्रबंध और नियन्त्रण करता है, चाहे ऐसा निकाय किसी भी नाम से जाना जाये ;

(ञ) "असाधारण साधारण बैठक" से किसी भी क्रीड़ा संगम के साधारण निकाय की साधारण वार्षिक बैठक से भिन्न कोई विशेष बैठक अभिप्रेत है ;

(ट) "साधारण निकाय" से किसी भी क्रीड़ा संगम के समस्त मतदान करने वाले और मतदान नहीं करने वाले सदस्यों का निकाय अभिप्रेत है ;

(ठ) "सरकार" से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ड) "प्रेक्षक" से रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्, किसी भी जिला क्रीड़ा परिषद् या किसी क्रीड़ा संगम द्वारा, क्रीड़ा संगम के निर्वाचनों या किन्हीं भी अन्य कार्यवाहियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मानीटर करने के लिए, नियुक्त कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ढ) "पदाधिकारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी भी क्रीड़ा संगम के कार्यकारी निकाय में अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष का पद धारण करता है ;

(ण) "प्राथमिक क्रीड़ा निकाय" से किसी राजस्व जिले में क्रियाशील ऐसी क्रीड़ा इकाई अभिप्रेत है जो न तो राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम है और न ही जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम और जो उपखण्ड या तहसील या नगर या गांव स्तर पर कार्य कर रही है और जो व्यष्टियों द्वारा गठित की गयी है और जो जिला स्तरीय क्रीड़ा परिषद् से संबद्ध है ;

(त) "राजस्थान ओलम्पिक संगम" से राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजन के लिए गठित संगम अभिप्रेत है और जो भारतीय ओलम्पिक संगम द्वारा इस रूप

में मान्यताप्राप्त है और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् से सम्यक् रूप से संबद्ध है ;

(थ) "राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्" से राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत परिषद् अभिप्रेत है जिसका रजिस्ट्रीकरण सं. 93/जयपुर/69-70 है ;

(द) "रजिस्ट्रार" से रजिस्ट्रार के कृत्यों का पालन करने के लिए राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16) की धारा 4 में निर्दिष्ट रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसमें रजिस्ट्रार की समस्त या किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग करते समय रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त कोई भी व्यक्ति सम्मिलित है ;

(ध) "विनियम" से टूर्नामेंट, कोचिंग, प्रशिक्षण, अम्पायर क्लीनिक का संचालन करने के मामले या उप-विधियों के अधीन न आने वाले किसी भी अन्य मामले में किसी क्रीड़ा संगम के कार्यकारी निकाय द्वारा बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं ;

(न) "विशेष संकल्प" से साधारण निकाय की बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित ऐसा कोई संकल्प अभिप्रेत है जिसका कार्यवृत्त अभिलिखित किया जाता है और पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित और प्रेक्षक, यदि कोई हो, के द्वारा अनुप्रमाणित किया जाता है, इस प्रयोजन के लिए कुल मतदाताओं के कम से कम आधे की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी ;

(प) "क्रीड़ा संगम" से राज्य में क्रीड़ा और खेलों को बढ़ावा देने के लिए गठित राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम, जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम या कोई प्राथमिक क्रीड़ा निकाय अभिप्रेत है ;

(फ) "राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम" से राज्य में विशिष्ट खेल या क्रीड़ा के लिए जिला स्तरीय क्रीड़ा संगमों का निर्वाचित प्रतिनिधि निकाय अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् से सम्यक् रूप से संबद्ध और राजस्थान ओलम्पिक संगम से संबद्ध हो और रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रीकृत हो और जिसने अनुसूची 'ख' के

अधीन पात्र होने पर रजिस्ट्रीकरण के लिए इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार को आवेदन कर दिया हो।

## अध्याय 2

### रजिस्ट्रीकरण और संविधान

3. अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण.— प्राथमिक क्रीड़ा निकाय को छोड़कर इस अधिनियम के अधीन परिभाषित प्रत्येक क्रीड़ा संगम को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित है।

4. रजिस्ट्रार .— (1) राज्य की सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार होगा और वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहण के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् की सहायता प्राप्त कर सकेगा।

(2) सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना उचित समझे, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति किसी भी अधिकारी को प्रदत्त कर सकेगी।

(3) रजिस्ट्रार, किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, जिन्हें वह अधिरोपित करना उचित समझे, इस अधिनियम के अधीन की अपनी समस्त या कोई भी शक्ति अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(4) उपर्युक्त उप-धारा (2) और (3) के अधीन नियुक्त किया जाने वाला अधिकारी राजस्थान सहकारी सेवा के कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी या समकक्ष अधिकारी की रैंक से नीचे का नहीं होगा।

5. क्रीड़ा संगमों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन.— (1) अनुसूची 'ख' में सूचीबद्ध राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम और खेल या क्रीड़ा के लिए कोई भी अन्य भावी राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम, जो वर्तमान में अनुसूची 'ख' के अन्तर्गत नहीं है और जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनुसूची 'ख' में जोड़ दिया जाये और उससे संबद्ध जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम, संगम के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेंगे जिसमें क्रीड़ा संगम का

नाम, पता, प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्र, उसके द्वारा जिस खेल या क्रीड़ा का प्रतिनिधित्व किया गया है, उसका कथन और कार्यकारी निकाय का पूरा ब्यौरा होगा और उसके साथ अनुसूची 'क' में विनिर्दिष्ट दस्तावेज लगाये जायेंगे।

(2) किसी जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम को उसके संबद्धक राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के लिए नौ मास का समय अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण के लिए दो सौ पचास रुपये की रजिस्ट्रीकरण फीस या ऐसी अन्य फीस प्रभार्य होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर पुनः अवधारित और अधिसूचित की जाये।

6. क्रीड़ा संगमों का रजिस्ट्रीकरण.— (1) रजिस्ट्रार यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि प्रस्तावित क्रीड़ा संगम इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करता है, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर क्रीड़ा परिषद् को उसकी उप-विधियों सहित रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा और अपने हस्ताक्षर और मुद्रा से उसका प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा।

(2) यदि रजिस्ट्रार यह पाता है कि उप-धारा (1) की अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई है तो वह आवेदक को पन्द्रह दिन का नोटिस देने और सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

7. क्रीड़ा संगम के संविधान की विरचना.— इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक क्रीड़ा संगम अपने संविधान की विरचना करेगा जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होगा:—

(क) भाग 'क'— ज्ञापन जिसमें उसके लक्ष्य और उद्देश्य और कार्यक्षेत्र अंतर्विष्ट होगा;

(ख) भाग 'ख' — उप-विधियां।

8. उप-विधियां.— (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक क्रीड़ा संगम, जो इस अधिनियम के

अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहता है, अपनी उप-विधियों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपबन्ध करेगा:-

(क) क्रीड़ा संगम के कार्यकारी निकाय का निर्वाचन कालिक निर्वाचनों में लोकतांत्रिक रीति से किया जायेगा ;

(ख) कार्यकारी निकाय के निर्वाचन प्रत्येक चार वर्ष में कम-से-कम एक बार करवाये जायेंगे ;

(ग) जिला स्तरीय संगम, संबंधित राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम के उन विनिश्चयों या निदेशों का पालन करने के लिए ऐसे उपबन्ध करेंगे जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप हों ;

(घ) क्रीड़ा और समाज के प्रत्येक वर्ग के खिलाड़ियों को भेदभाव के बिना प्रोत्साहित करने के उपबन्ध ।

(2) प्रत्येक क्रीड़ा संगम अपनी उप-विधियों में निर्वाचनों के लिए ऐसी प्रक्रिया सम्मिलित करेगा जिसमें अन्य उपबन्धों के साथ-साथ निम्नलिखित समाविष्ट होगा:-

(क) स्वतंत्र निर्वाचन अधिकारी का उपबन्ध ;

(ख) निर्वाचन की सूचना जारी होने के पूर्व मतदाता सूची का प्रकाशन;

(ग) पूर्ववर्ती वर्ष के संपरीक्षित लेखाओं और विधिमान्य मतदाता सूची सहित संगम के सचिव के नाम से और मुद्रा के अधीन निर्वाचन के लिए जारी न्यूनतम इक्कीस दिन का नोटिस ;

(घ) कम-से-कम तीन दिन पूर्व नामनिर्देशन प्राप्त करने का उपबन्ध ;

(ङ) गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन करवाने का उपबन्ध ।

(3) उप-धारा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, उप-विधियों में प्रत्येक संशोधन विशेष संकल्प द्वारा पारित किया जायेगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित और रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा ।

(4) यदि रजिस्ट्रार की यह राय हो कि प्रस्तावित संशोधन इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नहीं है तो वह प्रस्तावित संशोधन क्रीड़ा संगम को कारणों सहित उस पर पुनर्विचार करने के लिए लौटा सकेगा । तत्पश्चात् क्रीड़ा संगम प्रस्तावित संशोधन पर पुनर्विचार करेगा और उसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप करने और किये गये आक्षेपों की पूर्ति करने के पश्चात्,

रजिस्ट्रार को नये प्रस्तावित संशोधन पुनः प्रस्तुत कर सकेगा। तत्पश्चात् रजिस्ट्रार प्रस्तावित संशोधन को या तो अनुमोदित करेगा या अननुमोदित करेगा और अपने आदेश से संबंधित क्रीड़ा संगम को कारणों सहित संसूचित करेगा।

9. क्रीड़ा संगम की सदस्यता.— (1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम संबंधित राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम का सदस्य होगा।

(2) कोई प्राथमिक क्रीड़ा निकाय संबंधित जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम का सदस्य होगा।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, सदस्यता में कोई परिवर्धन, हटाया जाना या परिवर्तन केवल क्रीड़ा संगम के साधारण निकाय की बैठक में किया जा सकेगा।

(4) क्रीड़ा संगम अपनी उप-विधियों में सदस्यता मंजूर करने के लिए शर्तें और प्रक्रिया विहित कर सकेगा।

10. किसी क्रीड़ा संगम का गठन करने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं.—(1) कोई राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम न्यूनतम छह जिला स्तरीय क्रीड़ा संगमों द्वारा गठित किया जायेगा।

(2) कोई जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम न्यूनतम तीन प्राथमिक क्रीड़ा निकायों द्वारा गठित किया जायेगा।

(3) कोई प्राथमिक क्रीड़ा निकाय न्यूनतम सात व्यष्टियों द्वारा गठित किया जायेगा।

11. कार्यकारी निकाय की संरचना.— किसी क्रीड़ा संगम के कार्यकारी निकाय में पदधारियों को सम्मिलित करते हुए न्यूनतम पांच और अधिकतम इक्कीस सदस्य होंगे।

12. राजस्थान ओलम्पिक संगम और जिला ओलम्पिक संगम.— (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राजस्थान ओलम्पिक संगम को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा संबद्धता दी जायेगी, और उसे राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम के रूप में माना जायेगा और वह इस अधिनियम के अधीन

रजिस्ट्रीकृत राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगमों को ओलम्पिक खेलों, एशियाई खेलों या राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने के लिए मान्यताप्राप्त खेलों या क्रीड़ा के लिए, और भारतीय ओलम्पिक संगम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों या किन्हीं भी अन्य प्रतिस्पर्धाओं में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजनों के लिए संबद्धता देगा।

(2) जिला ओलम्पिक संगम इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत जिला स्तरीय क्रीड़ा संगमों को संबद्ध करेगा।

(3) राजस्थान ओलम्पिक संगम या उसका कोई भी संबद्ध निकाय क्रीड़ा से संबंधित कोई अन्य कार्य कर सकेगा जो राजस्थान सरकार या राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् उसे न्यस्त करे।

(4) राजस्थान ओलम्पिक संगम और इसके घटक जिला ओलम्पिक संगम उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के अधीन आने वाले रजिस्ट्रीकृत क्रीड़ा संगमों को ऐसे किसी संगम द्वारा किये गये आवेदन के तीस दिन के भीतर-भीतर संबद्धता-पत्र जारी करेगा।

### अध्याय 3

#### निर्वाचन

13. निर्वाचन.— (1) किसी राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम के कार्यकारी निकाय के निर्वाचन, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के किसी प्रेक्षक की उपस्थिति में संचालित किये जायेंगे। किसी जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम के कार्यकारी निकाय के निर्वाचन उसके राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम के प्रेक्षक की और जिला क्रीड़ा परिषद् के प्रेक्षक की उपस्थिति में संचालित किये जायेंगे।

(2) किसी क्रीड़ा संगम के कार्यकारी निकाय के निर्वाचन की समाप्ति पर, निर्वाचन अधिकारी निर्वाचित सदस्यों के नाम और पते देते हुए प्रेक्षक (प्रेक्षकों) द्वारा सम्यक् रूप से प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाणपत्र जारी करेगा। ऐसे प्रमाणपत्र के जारी होने पर, निर्वाचित कार्यकारी निकाय क्रीड़ा संगम का प्रभार

संभालेगा। निर्वाचन अधिकारी ऐसे प्रमाणपत्र की प्रतियां रजिस्ट्रार और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् को भेजेगा।

14. मतदान का अधिकार.— (1) किसी प्राथमिक क्रीड़ा निकाय के प्रत्येक सदस्य को अपने कार्यकारी निकाय के निर्वाचन में एक मत देने का अधिकार होगा।

(2) प्रत्येक सम्बद्ध प्राथमिक क्रीड़ा निकाय को, जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम के कार्यकारी निकाय के निर्वाचन के लिए, उस प्राथमिक क्रीड़ा निकाय की ओर से एक मत देने का अधिकार होगा।

(3) प्रत्येक सम्बद्ध जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम को, राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम के कार्यकारी निकाय के निर्वाचन के लिए उस जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम की ओर से एक मत देने का अधिकार होगा।

(4) किसी भी व्यक्ति सदस्य को जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम या राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम के कार्यकारी निकाय के निर्वाचन में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(5) क्रीड़ा संगम की ओर से मत देने के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों को प्राधिकार देने के अवधारण की प्रक्रिया ऐसी होगी जो क्रीड़ा संगम की उप-विधियों में विहित हो।

15. निर्वाचन लड़ने के लिए पात्रता.— (1) समस्त व्यक्ति सदस्य प्राथमिक क्रीड़ा निकाय का निर्वाचन लड़ने के पात्र हैं।

(2) समस्त सम्बद्ध प्राथमिक निकायों के निर्वाचित पदाधिकारी, जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम का निर्वाचन लड़ने के पात्र हैं।

(3) समस्त सम्बद्ध जिला स्तरीय संगमों के निर्वाचित पदाधिकारी, राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम का निर्वाचन लड़ने के पात्र हैं।

(4) निर्वाचन लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति के पास निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख को इस अधिनियम की अनुसूची 'ग' में विहित अर्हताएं होनी चाहिए।

#### अध्याय 4

#### विवादों का निपटारा

16. सुलह और माध्यस्थम्.— (1) यदि किसी क्रीड़ा संगम के गठन, प्रबंध क्रियाकलाप, निर्वाचन या सम्बद्धता के दावे से संबंधित कोई विवाद उद्भूत हो तो उसका निपटारा सुलह और माध्यस्थम् के माध्यम से किया जायेगा।

(2) समय-समय पर यथा-संशोधित माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 26), उप-धारा (1) के अधीन निर्दिष्ट सुलह और माध्यस्थम् कार्यवाहियों पर लागू होगा।

#### अध्याय 5

#### लेखा, संपरीक्षा और निरीक्षण

17. लेखा.— प्रत्येक क्रीड़ा संगम अपने लेखे अद्यतन रखेगा।

18. संपरीक्षा.—प्रत्येक राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम अपने लेखाओं को चार्टर्ड एकाउंटेंट से संपरीक्षित करायेगा और अपने सम्बद्ध जिला स्तरीय क्रीड़ा संगमों के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करेगा।

19. विवरणी.— संपरीक्षित लेखा विवरण, प्राथमिक क्रीड़ा निकाय द्वारा अपने जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम को, जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम द्वारा अपने राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम को, और राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम द्वारा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् को, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर-भीतर भेजा जायेगा।

20. अभिलेख मंगाने और निरीक्षण की शक्ति.— (1) रजिस्ट्रार या राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्, क्रीड़ा संगम का, इस अधिनियम के अधीन जांच के लिए अपेक्षित कोई भी अभिलेख मंगा सकेगी।

(2) राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम सम्बद्ध जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम का, इस अधिनियम के अधीन जांच के लिए अपेक्षित कोई भी अभिलेख मंगा सकेगा।

#### अध्याय 6

#### असंबद्धता, जांच और निरर्हताएं

21. असंबद्धता.— (1) कोई राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम, सम्यक् सुनवाई के पश्चात्, किसी भी ऐसे जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम को असंबद्ध कर सकेगा जिसने इस अधिनियम के अध्याय 8 में अधिकथित किन्हीं भी बाध्यताओं को लगातार दो वर्ष तक पूरा नहीं किया हो और रजिस्ट्रार को सूचित कर सकेगा, जो धारा 24 के अधीन समुचित कार्रवाई कर सकेगा।

(2) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्, सम्यक् सुनवाई करने के पश्चात्, किसी भी ऐसे राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम को असंबद्ध कर सकेगा जिसने इस अधिनियम के अध्याय 8 में अधिकथित किन्हीं भी बाध्यताओं को लगातार दो वर्ष तक पूरा नहीं किया हो और रजिस्ट्रार को सूचित कर सकेगा, जो धारा 24 के अधीन समुचित कार्रवाई कर सकेगा।

22. निरर्हता के आधार.—(1) कोई क्रीड़ा संगम निम्नलिखित किन्हीं भी आधारों पर कार्रवाई के लिए दायी होगा:—

(क) यदि क्रीड़ा संगम लेखा संधारित करने में विफल रहता है और धारा 19 के अधीन उसे प्रस्तुत करने में विफल रहता है या निरीक्षण के लिए मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करने में विफल रहता है ;

(ख) यदि क्रीड़ा संगम अपनी उप-विधियों के अनुसार या, यथास्थिति, अध्याय 7 के उपबंधों द्वारा आदिष्ट होने पर निर्वाचन कराने में विफल रहता है;

(ग) यदि क्रीड़ा संगम अध्याय 8 के अधीन अपनी बाध्यताओं को निभाने में विफल रहता है ;

(घ) यदि क्रीड़ा संगम या कार्यकारी निकाय का कोई भी पदाधिकारी या कोई भी अन्य सदस्य अपने वैयक्तिक अभिलाष के लिए निधियों का दुर्विनियोजन करता है या किसी भी अन्य व्यक्ति को अनुचित फायदा पहुंचाने के लिए क्रीड़ा संगम के कार्यकलापों का कुप्रबंध करता है ;

(ङ) यदि क्रीड़ा संगम धारा 21 के अधीन असंबद्ध कर दिया जाता है।

(2) कोई राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, रजिस्ट्रार को यह सिफारिश कर सकेगा कि उससे संबद्ध किसी जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम को निरर्हित किया जाये क्योंकि वह -

(क) टूर्नामेंट करवाने के मामले में राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम के निदेशों का पालन नहीं करता है और अपने विनियमों की अवज्ञा करता है ;

(ख) संबद्धता फीस का संदाय नहीं करता है ;

(ग) अपनी रजिस्ट्रीकृत उप-विधियों के उपबंधों का अन्यथा अतिक्रमण करता है।

23. जांच.- (1) रजिस्ट्रार,-

(क) किसी राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम के अनुरोध पर, या

(ख) किसी क्रीड़ा संगम के कुल सदस्यों के दसवें भाग से अन्यून के अनुरोध पर, या

(ग) स्वप्रेरणा से, कोई जांच या तो स्वयं कर सकेगा या अपने द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति से करवा सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए, संबंधित क्रीड़ा संगम के अभिलेखों का निरीक्षण करने, जांच के प्रयोजन के लिए कोई भी दस्तावेज पेश करने का निदेश देने और उसकी प्रतिलिपि करने की सभी शक्तियां होंगी।

24. निरर्हताएं— (1) जांच करने के पश्चात् रजिस्ट्रार प्रभावित क्रीड़ा संगम को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् —

(क) कोई तदर्थ कार्यकारी समिति नियुक्त कर सकेगा और तीन मास के भीतर-भीतर कार्यकारी निकाय के नये निर्वाचन करवा सकेगा ;

(ख) निधियों के दुर्विनियोजन के मामले में विधि के अनुसार कार्रवाई कर सकेगा।

(2) किसी क्रीड़ा संगम के किसी भी विद्यमान पदाधिकारी को, जो उप-धारा (1) के अधीन निरर्हित है, किसी भी क्रीड़ा संगम का निर्वाचन लड़ने के लिए ऐसी निरर्हता की तारीख से छह वर्ष की कालावधि के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

25. राज्य और जिलों का प्रतिनिधित्व करने या नाम का उपयोग करने का प्रतिषेध—(1) कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या तो व्यक्तिशः या सामूहिक रूप से, किसी राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम द्वारा प्राधिकृत हुए बिना किसी भी खेल या क्रीड़ा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा या प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(2) कोई भी क्रीड़ा संगम अपने नाम के भागरूप में शब्द "राजस्थान" का उपयोग करने या किसी जिले के नाम का उपयोग करने या ऐसे किसी क्रीड़ा क्रियाकलाप का जिम्मा लेने का हकदार नहीं होगा जो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए

तात्पर्यित किसी भी राष्ट्रीय संगम, बोर्ड या संगम की किसी संबद्ध इकाई के रूप में या किसी भी प्रकार की किसी भी अन्य रीति से राजस्थान राज्य या किसी जिले का प्रतिनिधित्व करने के रूप में परिणत हो, जब तक कि ऐसा क्रीड़ा संगम इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम या किसी जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम के रूप में रजिस्ट्रीकृत न हो।

(3) जो कोई उपर्युक्त उप-धारा (1) और (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास से अधिक की नहीं होगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) कोई भी न्यायालय, रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा लिखित में किये गये परिवाद के सिवाय इस धारा के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

(5) रजिस्ट्रार, लेखबद्ध कारणों से, इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध का प्रशमन कर सकेगा। इस धारा के अधीन किसी भी अपराध के प्रशमन पर ऐसे अपराध के बारे में कोई भी कार्यवाही नहीं की जायेगी या जारी नहीं रखी जायेगी।

## अध्याय 7

### संक्रमण

26. मान्यता.— (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य या जिला स्तर पर खेल या क्रीड़ा क्रियाकलापों का जिम्मा लेने वाला कोई संगम, जो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन पहले से रजिस्ट्रीकृत है, रजिस्ट्रार को आवेदन किये जाने पर इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने और मान्यताप्राप्त करने का विकल्प देने और उसका प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा और इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर अपनी उप-विधियों को, उन्हें रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप करने के लिए संशोधित करेगा और इस अधिनियम की अनुसूची 'क' में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि ऐसा कोई आवेदन इस अधिनियम के प्रारंभ के तीस दिन के भीतर-भीतर नहीं किया जाता है या यदि उप-धारा (1) के अन्तर्गत आने वाली क्रीड़ा संगम की उप-विधियां, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं की जाती हैं तो क्रीड़ा संगम के कार्यकारी निकाय को रजिस्ट्रार द्वारा अतिष्ठित कर दिया जायेगा और क्रीड़ा संगम के कार्यकलापों का प्रबंध करने के लिए तदर्थ कार्यकारी समिति नियुक्त की जायेगी। ऐसी कोई तदर्थ कार्यकारी समिति असाधारण साधारण बैठक बुलायेगी और अनुमोदित उप-विधियों को प्रभार ग्रहण करने के तीस दिन के भीतर-भीतर संशोधित करवायेगी, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगी और तत्पश्चात् नये निर्वाचन करने के लिए अग्रसर होगी।

(3) उप-विधियों में संशोधन के पश्चात् नये निर्वाचन ऐसे संशोधन से तीस दिन के भीतर-भीतर ऐसे मामलों में किये जायेंगे जिनमें—

(क) ऐसा कोई संशोधन पूर्ववर्ती निर्वाचित कार्यकारी निकाय को अतिष्ठित करने के पश्चात् किया गया है ;

(ख) पूर्ववर्ती निर्वाचित कार्यकारी निकाय ऐसे किसी निर्वाचकगण द्वारा निर्वाचित किया गया है जिसमें इस अधिनियम के अधीन उपबंधित सदस्यों से भिन्न सदस्य समाविष्ट थे :

परन्तु निर्वाचकगण और अपने संबद्धक संगमों के निर्वाचन लड़ने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पात्रता उप-धारा (4) के आधार पर अवधारित की जायेगी।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, इस अधिनियम के प्रारंभ पर, विभिन्न राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम और जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम के कार्यकारी निकायों के निर्वाचित पदाधिकारी उप-धारा (3) के अधीन कोई भी नये निर्वाचन करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित रीति से अवधारित किये जायेंगे :—

(क) अधिनियम की अनुसूची 'ख' में सूचीबद्ध राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगमों के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् से संबद्ध राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगमों द्वारा फाइल की गयी विवरणियों और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के पास उपलब्ध अभिलेख के आधार पर, जो या तो ऐसी विवरणियों पर या इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को सुसंगत जिला क्रीड़ा परिषद् के अभिलेख के आधार पर आधारित हों ;

(ख) जिला स्तरीय क्रीड़ा संगमों के लिए, प्राथमिक तौर पर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् से संबद्ध राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगमों द्वारा फाइल की गयी विवरणियों के आधार पर और यदि ऐसी विवरणियां उपलब्ध नहीं हों तो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को जिला क्रीड़ा परिषद् के पास उपलब्ध संबद्धता अभिलेख के आधार पर।

(5) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, इस अध्याय के अन्तर्गत आने वाले राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम से संबद्ध और इस अध्याय के अन्तर्गत न आने वाले जिला स्तरीय क्रीड़ा संगमों को संबंधित राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंजूर किये जाने से नौ मास का समय अनुज्ञात किया जायेगा।

27. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 28 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति.— (1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, ऐसे सभी क्रीड़ा संगमों का रजिस्ट्रीकरण, जो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं.28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं और जिन्होंने धारा 26 के अधीन रजिस्ट्रीकरण और मान्यता का विकल्प दिया है ऐसे विकल्प की तारीख से अस्तित्व में नहीं रह जायेंगे।

(2) उप धारा (1) के अधीन किसी संगम का रजिस्ट्रीकरण समाप्त हो जाने पर भी, इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व उद्भूत सभी दावे या उपगत दायित्व या प्रारंभ की गयी कार्यवाहियां, ऐसे

दावाकृत की, भुगती जायेंगी या, यथास्थिति, जारी रहेंगी मानो रजिस्ट्रीकरण का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है।

(3) उप-धारा (1) के अधीन किसी संगम के रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति पर, संगम की संपत्ति, संगम की उप-विधियों के अध्यक्ष रहते हुए ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकाय में निहित रहना जारी रहेगी जिनमें संपत्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व निहित थी।

#### अध्याय 8

क्रीड़ा संगमों के अधिकार और दायित्व

28. भाग लेने का अधिकार.— प्रत्येक क्रीड़ा संगम को संबद्धक क्रीड़ा संगम की उप-विधियों तथा विनियमों के अधीन रहते हुए ऐसे क्रीड़ा संगम द्वारा संचालित ऐसे क्रीड़ा क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार होगा जिससे वह सम्बद्ध है।

29. राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगमों की बाध्यताएं.— राजस्थान ओलम्पिक संगम से भिन्न प्रत्येक राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम—

(1) प्रतिवर्ष वरिष्ठों और कनिष्ठों प्रत्येक के लिए कम से कम एक-एक अन्तर जिला राज्य चैम्पियनशिप करायेगा ;

(2) अपने खिलाड़ियों और टीम को राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने के लिए भेजेगा ;

(3) या तो स्वयं या राजस्थान क्रीड़ा परिषद् के सहयोग से खिलाड़ियों के लिए पूरे वर्ष प्रशिक्षण और कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध करने के इंतजाम करेगा ;

(4) ऐसे पुरस्कार, छात्रवृत्तियां, पदक और ऐसी अन्य सुविधाएं देने के इंतजाम करेगा जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें।

30. जिला स्तरीय क्रीड़ा संगमों की बाध्यताएं.— किसी जिला स्तरीय ओलम्पिक संगम से भिन्न प्रत्येक जिला स्तरीय क्रीड़ा संगम—

(1) प्रतिवर्ष वरिष्ठों और कनिष्ठों प्रत्येक के लिए कम से कम एक-एक जिला स्तरीय चैम्पियनशिप करायेगा ;

(2) अपने खिलाड़ियों और टीम को राज्य स्तर पर भाग लेने के लिए भेजेगा;

(3) या तो स्वयं या राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के सहयोग से खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण और कोचिंग उपलब्ध करने के इन्तजाम करेगा ;

(4) ऐसे पुरस्कार, छात्रवृत्ति, पदक और अन्य सुविधाएं देने की व्यवस्था करेगा जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें।

### अध्याय 9

#### प्रकीर्ण

31. नियम बनाने की शक्ति.— (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हों सकेगी, रखे जायेंगे और यदि उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

32. कठिनाइयों का निराकरण.— यदि इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने में कोई भी कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन प्रदत्त की गयी शक्तियों का प्रयोग इस अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

33. अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों का संरक्षण.— इस अधिनियम या 'तदधीन' बनाये गये नियमों के उपबंधों के क्रियान्वयन में किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी भी कार्य के लिए या की गयी किसी भी कार्यवाई के लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई दावा, अभियोजन या अन्य कोई विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

34. अनुसूची 'क', 'ख' और 'घ' में संशोधन.— अनुसूची 'क', अनुसूची 'ख' और अनुसूची 'घ' के अधीन दी गयी सूची में कोई परिवर्धन या परिवर्तन और हटाया जाना निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा विनियमित होगा:—

(1) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् विशेष संकल्प पारित करने के पश्चात् रजिस्ट्रार को लिखित सूचना भेज सकेगी ;

(2) लिखित सूचना प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार उस प्रस्तावित परिवर्धन, परिवर्तन या हटाये जाने का नोटिस प्रकाशित करेगा ;

(3) ऐसे नोटिस के प्रकाशन से तीस दिन की समाप्ति पर उस प्रस्तावित संशोधन पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा और यदि राज्य सरकार उसे उचित समझे तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संबंधित अनुसूची को संशोधित कर सकेगी :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन जारी की गयी सभी अधिसूचनाएं उनके इस प्रकार जारी किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखी जायेंगी।

35. अपील.— (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा किये गये आदेश से व्यथित कोई भी क्रीड़ा संगम या व्यक्ति ऐसा आदेश किये जाने के तीस दिन के भीतर-भीतर शासन सचिव, युवा मामले और क्रीड़ा विभाग को उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा।

(2) ऐसी अपील में शासन सचिव, युवा मामले और क्रीड़ा विभाग का विनिश्चय अन्तिम होगा और उसके आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण ऐसे आदेश से तीस दिन के भीतर-भीतर उच्च न्यायालय में हो सकेगा।

36. व्यावृत्तियां.— इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन किसी क्रीड़ा संगम द्वारा की गयी या की जाने के लिए तात्पर्यित सभी विधिपूर्ण कार्रवाइयां इस अधिनियम के अधीन किसी क्रीड़ा संगम के रूप में उसके रजिस्ट्रीकृत होने के आधार पर की हुई समझी जायेंगी।

37. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 28 में धारा 18 का अन्तःस्थापन.— राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) की विद्यमान धारा 18 के पश्चात्, निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

“18 क. कतिपय सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से इनकार करने या रद्द करने की रजिस्ट्रार की शक्ति.— (1) रजिस्ट्रार —

(क) धारा 3 के अधीन किसी सोसाइटी, या

(ख) धारा 12-क के अधीन किये गये नाम परिवर्तन,— का रजिस्ट्रीकरण करने से इनकार करेगा यदि सोसाइटी के मुख्य क्रियाकलापों में क्रीड़ा सम्मिलित है और अभिव्यक्ति राजस्थान और किसी जिले का नाम सोसाइटी के प्रस्तावित नाम के भाग-रूप में सम्मिलित हो।

(2) यदि राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम

सं. 4) के प्रारंभ के पूर्व रजिस्ट्रीकृत किसी क्रीड़ा सोसाइटी के नाम में अभिव्यक्ति "राजस्थान" या राज्य के किसी जिले का नाम उसके भागरूप में है तो ऐसी सोसाइटी ऐसे प्रारंभ से तीस दिन के भीतर-भीतर सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत नाम से राजस्थान या, यथास्थिति, उस जिले का नाम हटाने के लिए अपने नाम में संशोधन करेगी।

(3) यदि कोई भी सोसाइटी उप-धारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करने में विफल रहती है तो रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर देगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण इस प्रकार प्रभावी होगा मानो ऐसी सोसाइटी के सदस्यों ने सोसाइटी को विघटित करने का संकल्प किया है और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे। "

38. निरसन और व्यावृत्तियां. — (1) राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन ) अध्यादेश, 2004 (2004 का अध्यादेश सं. 6) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त कार्यवाइयां या आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

अनुसूची 'क'

(धारा 5, 26 और 34 देखिए)

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची

1. सदस्यों की मजिस्ट्रेट या नोटरी द्वारा अनुप्रमाणित सूची।
2. कार्यकारी निकाय के निर्वाचित सदस्यों की सूची।
3. संबद्धता प्रमाणपत्र।
4. इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बनाया गया ज्ञापन और उप-विधियां (दो प्रतियों में)।

5. अंतिम साधारण बैठक का कार्यवृत्त।
6. अध्याय 7 के अन्तर्गत आने वाले संगम के मामले में, उप-विधियां इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप करने का वचन यदि वे आवेदन किये जाने की तारीख तक नहीं की गयी हैं।
7. ठीक पूर्ववर्ती विंतीय वर्ष का अद्यतन संपरीक्षित लेखा।

अनूसची 'ख'  
(धारा 5, 26 और 34 देखिए)

इस अधिनियम के प्रारंभ पर रजिस्ट्रीकरण के पात्र राज्य स्तरीय क्रीड़ा संगम

1. राजस्थान तीरंदाजी संगम।
2. राजस्थान एथलेटिक्स संगम।
3. राजस्थान बैडमिन्टन संगम।
4. राजस्थान बाल बैडमिन्टन संगम।
5. राजस्थान बॉस्केटबॉल संगम।
6. राजस्थान बिलियर्ड्स संगम।
7. राजस्थान शरीर सौष्ठव संगम।
8. राजस्थान मुक्केबाजी संगम।
9. राजस्थान ब्रिज संगम।
10. राजस्थान कैरम संगम।
11. राजस्थान शतरंज संगम।
12. राजस्थान कॉर्फ बाल संगम।
13. राजस्थान क्रिकेट संगम।
14. राजस्थान साईकिल पोलो संगम।

15. राजस्थान साईक्लिंग संगम।
16. राजस्थान निःशक्तजन क्रिकेट संगम।
17. राजस्थान इक्वेस्ट्रियम संगम।
18. राजस्थान फुटबाल संगम।
19. राजस्थान गोल्फ संगम।
20. राजस्थान जिमनारिस्टिक संगम।
21. राजस्थान हैण्डबॉल संगम।
22. राजस्थान हॉकी संगम।
23. राजस्थान कबड्डी संगम।
24. राजस्थान खो-खो संगम।
25. राजस्थान नेट बॉल संगम।
26. राजस्थान पॉवर लिफ्टिंग संगम।
27. राजस्थान राईफल शूटिंग संगम।
28. राजस्थान शूटिंग बॉल संगम।
29. राजस्थान साफ्टबॉल संगम।
30. राजस्थान तैराकी संगम।
31. राजस्थान टेबल टेनिस संगम।
32. राजस्थान तार्इक्वान्डो संगम।
33. राजस्थान टेनिस संगम।
34. राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट संगम।
35. राजस्थान वॉलीबाल संगम।
36. राजस्थान भारोत्तोलन संगम।
37. राजस्थान कुश्ती (फ्री स्टाईल) संगम।
38. राजस्थान कुश्ती (भारतीय पद्धति) संगम।

39. राजस्थान महिला क्रिकेट संगम।

40. राजस्थान महिला हॉकी संगम।

### अनुसूची 'ग'

(धारा 15 देखिए)

किसी क्रीड़ा संगम के कार्यकारी निकाय का निर्वाचन लड़ने और उसमें पद धारण करने के लिए अर्हताएं

1. वह भारत का नागरिक होगा/होगी।
2. वह उस संबंधित क्रीड़ा संगम के कार्यक्षेत्र के भीतर-भीतर नीचे सूचीबद्ध अर्हताओं में से किसी एक का धारक होना /होनी चाहिए:-

(क) उसका वहां जन्म हुआ है,

(ख) सामान्यतया वहां का/की निवासी है,

(ग) वहां कार्य कर रहा/रही है,

(घ) वहां उसके स्वामित्व में संपत्ति है।

3. उसे किसी दाण्डिक मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है।
4. उसे दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।

### अनुसूची 'घ'

(धारा 34 देखिए)

क्रीड़ा संगम द्वारा रखा जाने वाला आवश्यक अभिलेख

1. सदस्यों का रजिस्टर।
2. कार्यकारी निकाय की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तिका।
3. साधारण निकाय की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तिका।
4. लेखाओं का रजिस्टर।
5. क्रियाकलापों, प्रतिस्पर्धाओं और उपलब्धियों का अभिलेख।

जी. एस. होरा,  
शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT  
(Group-II)**

**NOTIFICATION  
Jaipur, March 14, 2005**

**No. F. 2(9)Vidhi/2/2005.**-In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette, of the following translation in the English language of the Rajasthan Krida (Sangamon Ka Registrikaran, Manyata Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2005 (2005 Ka Adhiniyam Sankhyank 4):-

**(Authorised English Translation)**

**THE RAJASTHAN SPORTS (REGISTRATION,  
RECOGNITION AND REGULATION OF  
ASSOCIATIONS) ACT, 2005**

**(Act No. 4 of 2005)**

**[Received the assent of the Governor on the 13<sup>th</sup> March, 2005]**

**An  
Act**

*to provide for registration, recognition and regulation of Sports Associations and to facilitate and regulate the activities and affairs of the Sports Associations in the State of Rajasthan and also to provide for recognition and regularization of the right to represent the State of Rajasthan and the various Revenue Districts in the State.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

**CHAPTER – I**

**PRELIMINARY**

**1. Short title, commencement and extent.-** (1) This Act may be called The Rajasthan Sports (Registration, Recognition and Regulation of Associations) Act, 2005.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall be deemed to have come into force on and from 18th August, 2004.

**2. Definitions.**— In this Act, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Adhoc Executive Committee" means an Executive Body, which is temporarily entrusted with the management of the affairs of a Sports Association by the Registrar under sections 24 and 26 of this Act;
- (b) "affiliation" means establishment of a relationship for the purpose of achieving the objectives of this Act;
- (c) "Annual General Meeting" means the annual meeting of the General Body of a Sports Association;
- (d) "Certificate of Affiliation" means the document issued by the Rajasthan State Sports Council, a State Level Sports Association or a District Level Sports Association while granting affiliation under the provisions of this Act and shall include a letter of affiliation issued by the Rajasthan Olympic Association;
- (e) "District" means a revenue district in the State of Rajasthan;
- (f) "District Level Sports Association" means a sports unit, which represents a Revenue District, in a particular game or sports and is duly affiliated to the concerned District Sports Council, State Level Sports Association and District Olympic Association and whose affiliating State Level Sports Association has applied for registration to the Registrar;

- (g) "District Sports Council" means a Council operating in a Revenue District under the control of the Rajasthan State Sports Council;
- (h) "election" means election of the Executive Body of a Sports Association;
- (i) "Executive Body" means a group of duly elected persons who manage and control the affairs of a Sports Association, by whatever name such body may be called;
- (j) "Extraordinary General Meeting" means a special meeting of the General Body of a Sports Association other than an Annual General Meeting;
- (k) "General Body" means the body of all voting and non-voting members of a Sports Association;
- (l) "Government" means the Government of the State of Rajasthan;
- (m) "Observer" means a person appointed by the Registrar, the Rajasthan State Sports Council, a District Sports Council or a Sports Association for monitoring of elections or any other proceedings of a Sports Association in accordance with the provisions of this Act;
- (n) "Office Bearer" means any person who holds the post of the President, Secretary or Treasurer in the Executive Body of a Sports Association;
- (o) "Primary Sports Body" means a sports unit operating in a revenue district which is neither a State Level Sports Association nor a District Level Sports Association and is working at sub-division or tehsil or city or village level

and is constituted by individuals and is affiliated to a District Level Sports Association;

- (p) "Rajasthan Olympic Association" means the Association constituted for the purposes of representation of the State of Rajasthan in the National games and which is recognised as such by the Indian Olympic Association and is duly affiliated to the Rajasthan State Sports Council;
- (q) "Rajasthan State Sports Council" means the Council registered under the Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Act No. 28 of 1958) bearing Registration No. 93/Jaipur/69-70;
- (r) "Registrar" means the Registrar referred to in section 4 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 (Act No. 16 of 2002) to perform the functions of the Registrar and includes any person appointed to assist the Registrar when exercising all or any of the powers of the Registrar;
- (s) "Regulations" means regulations framed by the Executive Body of a Sports Association in the matter of conducting tournaments, coaching, training, Umpire's clinic or any other matter not covered under the bye-laws;
- (t) "Special Resolution" means a resolution passed by two-third majority of members present and voting in a General Body meeting, the minutes of which meeting are recorded and signed by the Office Bearers and attested by the Observer, if any, presence of at least half of the total number of voters shall constitute a quorum for this purpose;

- (u) "Sports Association" means a State Level Sports Association, District Level Sports Association or a Primary Sports Body constituted to promote sports and games in the State,
- (v) "State Level Sports Association" means an elected representative body of District Level Sports Associations, for particular game or sports in the State which is duly affiliated to the Rajasthan State Sports Council and affiliated to the Rajasthan Olympic Association and being eligible under Schedule 'B', has applied for registration under this Act to the Registrar.

## CHAPTER - II

### REGISTRATION AND CONSTITUTION

3. **Compulsory registration.**-Every Sports Association defined under this Act, other than a Primary Sports Body, is required to be registered under the provisions of this Act.

4. **Registrar.**-(1) The Registrar of Co-operative Societies for the State shall be the Registrar for the purposes of this Act, and he may obtain the assistance of the Rajasthan State Sports Council for discharge of his functions under the provisions of this Act.

(2) The Government may, by general or special order and subject to such conditions as it may think fit to impose, confer on any officer the power to perform the duties of Registrar under this Act.

(3) The Registrar may, by general or special order and subject to such conditions as he may think fit to impose, delegate all or any of his powers or functions under this Act to an officer subordinate to him.

(4) The officer to be appointed under sub-sections (2) and (3) above shall not be below the Rank of a Junior Scale Officer of Rajasthan Co-operative Services or equivalent.

**5. Application for Registration of Sports Associations.-** (1) A State Level Sports Association enlisted in Schedule 'B' and any other future State Level Sports Association for a game or sports not presently covered by Schedule 'B' and added to the Schedule 'B' under the provisions of this Act and its affiliated District Level Sports Associations shall apply for registration of the Association, stating therein the name, address, area represented, game or sports represented by the Sports Association and with complete details of the Executive Body and accompanied with the documents specified in Schedule 'A'.

(2) A District Level Sports Association may be permitted a time of upto nine months for making an application for registration after its affiliating State Level Sports Association has received the Certificate of Registration.

(3) Registration fee of rupees two hundred fifty or such other fee as may be re-determined and notified by the Government from time to time shall be chargeable for registration.

**6. Registration of Sports Associations. -** (1) After the Registrar is satisfied that the proposed Sports Association complies with the provisions of this Act, he may, within thirty days from the date of receipt of application, register the

Sports Association together with its bye-laws and issue a certificate thereof under his hand and seal.

(2) If the Registrar finds that the requirement of sub-section (1) is not satisfied, he may, after giving a fifteen days' notice to the applicant and an opportunity of being heard, pass appropriate order.

**7. Framing of Constitution of a Sports Association.** - Subject to the provisions of this Act, every Sports Association shall frame its Constitution which shall consist of the following:-

- (a) Part 'A' – Memorandum containing its aims and objectives and area of operation;
- (b) Part 'B' – Bye-Laws.

**8. Bye-laws.** - (1) Subject to the provisions of this Act, every Sports Association which seeks registration under this Act shall make, amongst other things, the following provisions in its bye-laws:-

- (a) Executive Body of the Sports Association shall be elected in a democratic manner in periodical elections;
- (b) elections of the Executive Body shall be held atleast once in every four years;
- (c) District Level Associations shall make provisions to abide by those decisions or directions of the concerned State Level Sports Association, which are in consonance with the provisions of this Act;
- (d) provisions to encourage the sports and sports persons of every section of society without any discrimination.

(2) Every Sports Association shall incorporate a procedure for elections in its bye-laws, which shall, among other provisions, comprise the following:-

- (a) provision of an independent election officer;
- (b) publication of a voters' list before issue of notice of elections;
- (c) minimum twenty one days' notice for election, issued under the name and seal of the Secretary of the Association accompanied by the audited accounts for the previous year and valid voters' list;
- (d) provision for receiving nominations at least three days in advance;
- (e) provision for holding elections by Secret Ballot.

(3) Subject to the provisions of sub-section(4), every amendment in the bye-laws shall be passed by a Special Resolution and shall be approved and registered by the Registrar under the provisions of this Act.

(4) If the Registrar is of the opinion that the proposed amendment is not in accordance with the provisions of this Act, he may return the proposed amendment along with the reasons to the Sports Association for reconsidering the same. The Sports Association shall, thereafter, reconsider the proposed amendment and may resubmit fresh proposed amendments to the Registrar after bringing it in accordance with the provisions of this Act and after meeting the objections made. Thereafter the Registrar shall either approve or disapprove the proposed amendment and communicate his order with reasons to the concerned Sports Association.

**9. Membership of a Sports Association. - (1) A** District Level Sports Association registered under this Act, shall be a member of the concerned State Level Sports Association.

(2) A Primary Sports Body shall be a member of the concerned District Level Sports Association.

(3) Subject to the provisions of this Act, any addition, deletion or change in membership can be made only at General Body meeting of a Sports Association.

(4) A Sports Association may prescribe conditions and procedure of granting membership in its bye-laws.

**10. Minimum requirement of constituting a Sports Association.** - (1) A State Level Sports Association shall be constituted by a minimum of six District Level Sports Associations.

(2) A District Level Sports Association shall be constituted by a minimum of three Primary Sports Bodies.

(3) A Primary Sports Body shall be constituted by a minimum of seven individuals.

**11. Composition of the Executive Body.** - There shall be a minimum of five and a maximum of twenty one members including the Office Bearers in the Executive Body of a Sports Association.

**12. Rajasthan Olympic Association and District Olympic Association.** - (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Rajasthan Olympic Association shall be given affiliation by the Rajasthan State Sports Council, and shall be considered as a State Level Sports Association and shall give affiliation to the State Level Sports Associations registered under this Act for the games or sports recognised for participation in the Olympic Games, Asian Games or Commonwealth Games, and for the purposes of representing the State of Rajasthan in the National Games or any other events conducted by the Indian Olympic Association.

(2) District Olympic Associations shall affiliate the District Level Sports Associations registered under this Act.

(3) The Rajasthan Olympic Association or any of its affiliated bodies may perform any other task relating to sports which the Government of Rajasthan or Rajasthan State Sports Council may entrust it with.

(4) The Rajasthan Olympic Association and its constituent District Olympic Associations shall issue letters of affiliation to the registered Sports Associations falling under the sub-section (1) and sub-section (2) within thirty days of the application made by such an Association.

### CHAPTER - III

#### ELECTIONS

**13. Elections.-** (1) Election of the Executive Body of a State Level Sports Association shall be held in the presence of an Observer of the Rajasthan State Sports Council. Election of the Executive Body of a District Level Sports Association shall be held in the presence of Observer of its State Level Sports Association and Observer of the District Sports Council.

(2) On conclusion of the election of the Executive Body of a Sports Association, the election officer shall issue a certificate, duly countersigned by the Observer(s) giving the names and addresses of the elected members. On issuance of such certificate the elected Executive Body shall take charge of the Sports Association. The election officer shall send the copies of such certificate to the Registrar and the Rajasthan State Sports Council.

**14. Voting right.-** (1) Every member of a Primary Sports Body shall have the right to cast one vote in the election of its Executive Body.

(2) Each affiliated Primary Sports Body shall have the right to cast one vote on behalf of that Primary Sports Body for the election of the Executive Body of a District Level Sports Association.

(3) Each affiliated District Level Sports Association shall have the right to cast one vote on behalf of that District Level Sports Association for the election of the Executive Body of a State Level Sports Association.

(4) No individual member shall have a right to cast vote for the election of the Executive Body of a District Level Sports Association or a State Level Sports Association.

(5) Procedure for determining the authorisation of persons for the purpose of casting a vote on behalf of a Sports Association may be as prescribed in the bye-laws of a Sports Association.

**15. Eligibility for contesting elections.**— (1) All individual members are eligible to contest the elections of a Primary Sports Body.

(2) Elected Office Bearers of all affiliated Primary Sports Bodies are eligible to contest the elections of a District Level Sports Association.

(3) Elected Office Bearers of all affiliated District Level Sports Associations are eligible to contest the elections of a State Level Sports Association.

(4) Anyone contesting an election must possess the qualifications prescribed in Schedule 'C' of this Act on the date of notification of the elections.

## CHAPTER – IV

### SETTLEMENT OF DISPUTES

**16. Conciliation and Arbitration.-** (1) If any dispute arises touching the constitution, management activity, election or claim to affiliation of any Sports Association, the same shall be resolved through conciliation and arbitration.

(2) The Arbitration and Conciliation Act, 1996 (Central Act No. 26 of 1996), as amended from time to time, shall apply to the conciliation and arbitration proceedings referred under sub-section (1).

## CHAPTER – V

### ACCOUNTS, AUDIT AND INSPECTION

**17. Accounts. –** Every Sports Association shall keep its accounts up to date.

**18. Audit. -** Every State Level Sports Association shall get its accounts audited by a Chartered Accountant and shall make appropriate arrangement for auditing of accounts of its affiliated District Level Sports Associations.

**19. Returns. -** The statement of the audited accounts shall be sent within six months of the closing of the financial year by the Primary Sports Body to its District Level Sports Association, by the District Level Sports Association to its State Level Sports Association; and by the State Level Sports Association to the Rajasthan State Sports Council.

**20. Power to call for Records and Inspection.-** (1) The Registrar or the Rajasthan State Sports Council may call for any record of a Sports Association required for an enquiry under this Act.

(2) The State Level Sports Association may call for any record of an affiliated District Level Sports Association required for an enquiry under this Act.

## CHAPTER - VI

### DISAFFILIATION, INQUIRY AND DISQUALIFICATION

21. **Disaffiliation.**- (1) A State Level Sports Association may after giving due hearing, disaffiliate any District Level Sports Association which has not fulfilled any of the obligations laid down in the Chapter VIII of this Act for two years in succession and inform the Registrar, who may take appropriate action under section 24.

(2) The Rajasthan State Sports Council may after giving due hearing, disaffiliate any State Level Sports Association which has not fulfilled any of the obligations laid down in the Chapter VIII of this Act for two years in succession and inform the Registrar, who may take appropriate action under section 24.

22. **Grounds for Disqualification.** - (1) A Sports Association shall be liable to action on any of the following grounds: -

- (a) if the Sports Association fails to maintain accounts and submit the same under section 19 or fails to produce the same when called for inspection;
- (b) if the Sports Association fails to hold elections in accordance with its bye-laws, or, as the case may be, when enjoined by the provisions of Chapter VII;
- (c) if the Sports Association fails to carry out its obligations under Chapter VIII;

- (d) if the Sports Association or any of its Office Bearers or any other member of the Executive Body misappropriates the funds for his personal gains or mismanages the affairs of the Sports Association to give undue benefit to any other person;
- (e) if the Sports Association is disaffiliated under section 21.

(2) A State Level Sports Association may after giving opportunity of being heard, recommend to the Registrar that a District Level Sports Association affiliated to it may be disqualified if it –

- (a) does not follow the directions of the State Level Sports Association in the matter of conducting tournaments and flouts its Regulations;
- (b) does not pay the affiliation fee;
- (c) otherwise violates the provisions of its own registered bye-laws.

**23. Inquiry.-** (1) The Registrar may,-

- (a) on the request of a State Level Sports Association, or
- (b) on the request of not less than one tenth of the total members of a Sports Association, or
- (c) on his own motion,

hold an enquiry, either himself or by a person duly authorised by him.

(2) The Registrar or the person authorised by him shall, for the purpose of any inquiry, have all the powers to inspect records, direct production and take copy of any

document of the concerned Sports Association for the purpose of the enquiry.

**24. Disqualification.** - (1) After holding an inquiry the Registrar, after giving an opportunity of being heard to the affected Sports Association, may -

(a) appoint an Adhoc Executive Committee and cause to hold fresh elections of the Executive Body within three months;

(b) in the case of misappropriation of funds, take action in accordance with law.

(2) No existing Office Bearer of a Sports Association which is disqualified under sub-section (1) shall be permitted to contest elections of any Sports Association for a period of six years from the date of such disqualification.

**25. Prohibition to represent or to use the name of the State and Districts.** - (1) No person or group of persons, either individually or collectively shall represent or be allowed to represent the State of Rajasthan in any games or sports without being authorised by a State Level Sports Association.

(2) No Sports Association shall be entitled to use the description 'Rajasthan' or use the name of a District as part of its name or undertake any Sports activity which results in representing the State of Rajasthan or a District, as an affiliated unit of any National Federation, Board, or Association purporting to represent India, or in any other manner whatsoever, unless such Sports Association is registered as a State Level Sports Association or a District Level Sports Association under this Act.

(3) Whoever contravenes the provisions of sub-sections (1) and (2) above, shall, on conviction, be

punishable with imprisonment for a term not exceeding six months or with fine or with both.

(4) No court shall take cognizance of any offence under this section, except upon complaint made in writing by the Registrar or any officer authorised by him.

(5) The Registrar may, for the reasons recorded in writing, compound any offence punishable under this section. On composition of any offence under this section, no proceedings shall be taken or continued in respect of such offence.

## CHAPTER VII

### TRANSITION

**26. Recognition.-** (1) Notwithstanding anything contained in this Act, an Association undertaking games or sports activities at State or District level and is already registered under The Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Act No. 28 of 1958) shall be entitled to opt to be registered and recognised under this Act and to receive a certificate thereof on application to the Registrar and within thirty days from the date of commencement of this Act shall amend its bye-laws to bring it in conformity with the provisions of this Act to the satisfaction of the Registrar and submit all the documents specified in Schedule 'A' of this Act.

(2) If no such application is made within thirty days of the commencement of this Act or if the bye-laws of the Sports Association covered under sub-section (1) are not brought in conformity with the provisions of this Act at the expiry of thirty days from the commencement of this Act, the Executive Body of the Sports Association shall be superseded by the Registrar and an Adhoc Executive Committee shall be appointed to manage the affairs of the Sports Association.

Such an Adhoc Executive Committee shall call an Extraordinary General Meeting and get amended bye-laws approved within thirty days of taking charge, apply for registration under the provisions of this Act and then proceed to conduct fresh elections.

(3) After the amendment in bye-laws, fresh elections shall be held within thirty days of such amendment in the cases where-

- (a) such an amendment has been made after superseding the earlier elected Executive Body;
- (b) earlier elected Executive Body has been elected by a voting collegiums which comprised members other than those provided under this Act:

Provided that the voting collegiums and eligibility of elected persons for contesting elections of their affiliating Associations shall be determined on the basis of sub-section (4).

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, at the commencement of this Act, the elected Office Bearers of the Executive Bodies of various State Level Sports Associations and District Level Sports Associations shall be determined in the following manner for the purpose of conducting any fresh elections under sub-section (3):-

- (a) for the State Level Sports Associations listed in Schedule 'B' of this Act, on the basis of the returns filed by the affiliated State Level Sports Associations with the Rajasthan State Sports Council and the record available with the Rajasthan State Sports Council either based on such returns or on the basis of records of the

- relevant District Sports Council on the date of commencement of this Act;
- (b) for the District Level Sports Associations, primarily on the basis of returns filed by the affiliated State Level Sports Associations with the Rajasthan State Sports Council and, if such returns are not available, on the basis of record of Affiliation available with the District Sports Council on the date of commencement of this Act.

(5) Notwithstanding anything contained in this Act, the transition of the District Level Sports Associations affiliated to a State Level Sports Association covered under this chapter and themselves not covered under this chapter may be allowed to be completed upto nine months of the registration certificate being granted to the concerned State Level Sports Association.

**27. Cessation of registration under Rajasthan Act No. 28 of 1958.** —(1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the registration of all the Sports Associations which are registered under the Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Act No. 28 of 1958) and have opted for registration and recognition under section 26 shall cease to exist from the date of such option.

(2) Notwithstanding the cessation of registration of an Association under sub-section (1), all the claims accrued or liabilities incurred or proceedings initiated prior to the commencement of this Act shall be claimed, suffered or, as the case may be, continued as if the registration has not ceased to exist.

(3) On cessation of registration of an Association under sub-section (1), the property of the association shall, subject to the bye-laws of the association, continue to vest in

such persons or body of persons in whom the property vested immediately prior to the commencement of this Act.

## CHAPTER VIII

### RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SPORTS ASSOCIATIONS

**28. Right to participate.** - Every Sports Association shall have the right to participate in the sports activities conducted by the Sports Association to which it is affiliated, subject to the provisions in the bye-laws and Regulations of the affiliating Sports Association.

**29. Obligations of the State Level Sports Associations.** - Every State Level Sports Association other than Rajasthan Olympic Association shall-

(1) conduct at least one Inter-District State Championship, for the Seniors and Juniors every year;

(2) send its players and teams to participate at the National Level;

(3) arrange to provide round the year training and coaching facilities for the players either by itself or in association with Rajasthan State Sports Council;

(4) arrange to give such prizes, scholarships, medals and other such facilities as would encourage the sportspersons.

**30. Obligations of the District Level Sports Associations.** - Every District Level Sports Association other than a District Level Olympic Association shall-

(1) conduct at least one District Level Championship each for the Seniors and Juniors every year;

(2) send its players and teams to participate at the State Level;

(3) arrange to provide training and coaching facilities for the players either by itself or in association with Rajasthan State Sports Council;

(4) arrange to give such prizes, scholarships, medals and other such facilities as would encourage the sportspersons.

## CHAPTER IX

### MISCELLANEOUS

**31. Power to make rules.** - (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying into effect the provisions of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rules shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done thereunder.

**32. Removal of difficulties.**- If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by general or special order published in the Official Gazette, give such directions as are not inconsistent with the provisions of this Act and may appear to be

necessary or expedient for the purpose of removing such difficulty:

Provided that the powers conferred under this section shall not be exercised after the lapse of three years from the date of enforcement of this Act.

**33. Protection of acts done under this Act.-** No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any authority or officer or servant of the State Government for any act done or purported to be done, or for any action taken in carrying out the provisions of this Act or the rules made thereunder.

**34. Amendment in Schedule 'A', 'B' and 'D'.-** The following procedure shall govern any addition or alteration to and deletion from the list provided under Schedule 'A', Schedule 'B' and Schedule 'D' :-

(1) the Rajasthan State Sports Council may send a written advice to the Registrar after passing a Special Resolution;

(2) upon receiving the written advice, the Registrar shall publish a notice of the proposed addition, alteration or deletion;

(3) upon expiry of thirty days from the publication of such notice, the proposed amendment shall be considered by the State Government, and if the State Government thinks it fit, it may, by notification in the Official Gazette, amend the concerned Schedule:

Provided that all notifications issued under this sub-section shall be laid, as soon as may be after they are so issued, before the House of the State Legislature.

**35. Appeal.** - (1) Any Sports Association or person aggrieved by an order made by the Registrar under the provisions of this Act may appeal against the order to the Secretary to the Government, Department of Youth Affairs and Sports within thirty days of such an order being made.

(2) The decision of the Secretary to the Government, Department of Youth Affairs and Sports made in such an appeal shall be final and a revision against his order may lie with the High Court within thirty days of such an order.

**36. Savings.**- All lawful actions taken or purported to have been taken by a Sports Association under the Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Act No. 28 of 1958) prior to the commencement of this Act, shall be deemed to have been taken by virtue of its being registered as a Sports Association under this Act.

**37. Insertion of section 18A, Rajasthan Act No. 28 of 1958.** - After the existing section 18 of the Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Act No. 28 of 1958), the following new section shall be inserted, namely: -

**"18A. Power of Registrar to refuse or to cancel the registration of certain Societies.**- (1) The Registrar shall refuse to register -

- (a) a Society under section 3, or
- (b) the change of name made under section 12-A,

if the main activities of the Society include Sports and the expression Rajasthan or the name of any District as a part of the proposed name of the Society.

(2) If the name of a Sports Society registered before the commencement of the Rajasthan Sports Associations (Registration, Recognition and Regulation) Act, 2005 (Act

No. 4 of 2005) contains as part of its name the expression 'Rajasthan' or the name of any District of the State, such Society shall amend its name to remove 'Rajasthan' or, as the case may be, the name of the district from the registered name of the Society within thirty days from such commencement.

(3) If any Society fails to comply with the provisions of sub-section (2), the Registrar shall, after giving an opportunity of hearing to such Society, cancel the registration of such Society.

(4) Cancellation of registration under sub-section (3) shall operate as if the members of such Society have resolved to dissolve the Society and the provisions of this Act shall apply accordingly."

**38. Repeal and Savings.-** (1) The Rajasthan Sports (Registration, Recognition and Regulation of Associations) Ordinance, 2004 (Ordinance No. 6 of 2004) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been taken or made under this Act.

#### **SCHEDULE 'A'**

(See sections 5, 26 and 34)

#### **List of Documents necessary for Registration**

1. List of members attested by a Magistrate or a Notary.
2. List of elected members of the Executive Body.
3. Certificate of Affiliation.
4. Memorandum and bye-laws made in accordance with the provisions of this Act (in two copies).
5. Minutes of the last general meeting.

6. In the case of an Association covered under chapter VII, an undertaking to bring the bye-laws in conformity with the provisions of this Act if the same has not been done on the date of application being made.
7. Up to date audited accounts for the immediately preceding financial year.

**SCHEDULE 'B'**  
(See sections 5, 26 and 34)

**State Level Sports Associations eligible for Registration at  
the commencement of this Act**

1. Rajasthan Archery Association.
2. Rajasthan Athletics Association.
3. Rajasthan Badminton Association.
4. Rajasthan Ball Badminton Association.
5. Rajasthan Basketball Association.
6. Rajasthan Billiards Association.
7. Rajasthan Body Building Association.
8. Rajasthan Boxing Association.
9. Rajasthan Bridge Association.
10. Rajasthan Carrom Association.
11. Rajasthan Chess Association.
12. Rajasthan Corf Ball Association.
13. Rajasthan Cricket Association.
14. Rajasthan Cycle Polo Association.
15. Rajasthan Cycling Association.
16. Rajasthan Disabled Cricket Association.
17. Rajasthan Equestrian Association.
18. Rajasthan Football Association.
19. Rajasthan Golf Association.
20. Rajasthan Gymnastic Association.
21. Rajasthan Handball Association.
22. Rajasthan Hockey Association.

23. Rajasthan Kabaddi Association.
24. Rajasthan Kho-Kho Association.
25. Rajasthan Net Ball Association.
26. Rajasthan Power Lifting Association.
27. Rajasthan Rifle Shooting Association.
28. Rajasthan Shooting Ball Association.
29. Rajasthan Softball Association.
30. Rajasthan Swimming Association.
31. Rajasthan Table Tennis Association.
32. Rajasthan Taekwondo Association.
33. Rajasthan Tennis Association.
34. Rajasthan Tennis Ball Cricket Association.
35. Rajasthan Volleyball Association.
36. Rajasthan Weight Lifting Association.
37. Rajasthan Wrestling (Free Style) Association.
38. Rajasthan Wrestling (Indian Style) Association.
39. Rajasthan Women's Cricket Association.
40. Rajasthan Women's Hockey Association.

### SCHEDULE 'C'

(See sec. 15)

#### Qualifications for contesting elections and holding a post in the Executive Body of a Sports Association

1. He/She shall be a citizen of India.
2. He/She should possess any one of the qualifications listed below within the area of operation of the concerned Sports Association -
  - (a) has been born there,
  - (b) is ordinarily resident there,
  - (c) is working there,
  - (d) possesses property there.
3. He/She has not been convicted in any criminal case.
4. He/She has not been declared insolvent.

**SCHEDULE 'D'**

(See sec. 34)

**Mandatory Record to be maintained by a Sports Association**

1. Register of Members.
2. Minute Book of the meetings of the Executive Body.
3. Minute Book of the meetings of the General Body.
4. Register of Accounts.
5. Record of activities, events and achievements.

जी. एस. होरा,  
Secretary to the Government.

---

Government Central Press, Jaipur.